न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर राज.
अध्यासित द्वारा :– ओमप्रकाश सहारण , आर.ए.एस.

मु.न. 205 / 21	प्रवेश तिथि 28.12.2021	निर्णय तिथि 12.01.2022

उनवान

1. उर्मिला देवी पत्नि प्रभातनारायण अहीर
2. चन्द्रकला पुत्री महादेव प्रसाद
3. जयन्त यादव पुत्र भूपसिह
4. प्रतिभा पुत्री प्रभातनारायण
5. बबीता पुत्री भूपसिह
6. मंजू देवी पतिन भूपसिह
7. युवराज पुत्र प्रभातनारायण
8. विकान्त यादव पुत्र भूपसिह
9. शारदा देवी पुत्री महादेव
10. सूरजकला पुत्री महादेव
11. सरोज पुत्री भूपसिह जाति अहीरान निवासी खैरथल तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.

:– वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढबास जिला अलवर राज.

:– प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012

....

उपस्थितिः–
1. लेख राम वकील वादीगण की और से।
2. प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार

–: निर्णय :–

वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का सुक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से है:– वकील वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि साबिक खसरा नम्बर 780 रकबा 12 बीघा 01 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर क्रमशः 1376 / 2 बीघा 18 बिस्वा, 1377 / 3 बीघा 01 बिस्वा , 1378 / 6–00बीघा वाके ग्राम हुसैनपुर तहसील किशनगढबास पैमूद हुए है जो वाद मे विवादित आराजी है साबिक आराजी खसरा नम्बर 780 रकबा 12 बीघा 01 बिस्वा सम्वत 2009 मे वास्ते काश्त पटटे पर मिली थी जो अस्थाई तौर पर दी गई थी जमाबन्दी सम्वत 2009 मे वादीगण के बुजुर्गान गुलजी,महादेव , बहराम पि. परतिया अहीर सा. देह पटटेदार 5 साल सम्वत 2009 लगायत 13 मे गुलजी , महादेव , बहराम पि. परतिया अहीर सा.देह पटटेदार 5 साल अंकन हो रहा है जमाबन्दी सम्वत 2014 मे गुलजी, हरदेव , बहराम पि. परतिया समभग अहीर सा. देह पटटेदार अंकित हो रहा है जिससे साबित होता है कि यह आराजी वादीगण के बुजुर्गान को अलौट न होकर वास्ते काश्त अस्थाई तौर पर पटटे पर दी गई थी जिस पर वादीगण के बुजुर्गान अपने जीवन काल मे निरन्तर काबिज काश्त रहे है।

भू. प्रबन्ध सम्वत 2009 मे हाल खसरा नम्बरान पैमूद करते हुए वादीगण के बुजुर्गान को गैर खातेदार पटटेदार अंकित कर दिया जो अमल ताहाल जमाबन्दीया

तमे बदस्तुर चला आ रहा है। विवादित आराजी निष्कान्त कृषि भूमि है जिस पर वादीगण के बुजुर्गान व वादीगण बदस्तुर काबिज कश्त हैइसलिए वादीगण अपना कब्जा सिद्व कराकर नियमानुसार राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के उल्लेखित प्रावधानो के अनुसार कीमत भूमि जमाकोष कराकर हकूक खातेदार प्राप्त करने के अधिकारी है।

अतः वाद वादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावेः–

अ–डिकी इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज इस अमर की पारित कि जावे कि आराजी खसरा नम्बर 1376/2 बीघा 18 बिस्वा, 1377/3 बीघा 01 बिस्वा, 1378/6–00बीघा वाके ग्राम हुसैनपुर तहसील किशनगढबास की हाल जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सेनुसार वादीगण का कब्जा घोषित किया जाकर वादीगण से राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 मे उल्लेखित प्रावधानो के अनुसार कीमत भूमि जमा कोष कराई जाकर हकूक खातेदारी प्रदान किये जावे।

ब– डिकी इन्द्राज इस अमर की पारित की जावे कि हाल जमाबन्दी मे वादीगण को गैर खातेदारान पटटेदारान दर्ज किया हुआ को हजफ किया जाकर खातेदार दर्ज किया जावे।

स– दीगर दादरसी जो बनजदीक अदालत श्रीमान हो अता फरमाई जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रस्तुत वाद का अवलोकन किया । प्रकरण राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार है ।

वकील वादीगण की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने वाद मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए वाद वादीगण को डिकी किये जाने की इश्तदुआ की।

हमने वकील वादीगण की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया। बन्दोबस्त विभाग का क्षेत्रफल तुलनात्मक पत्र के अनुसार हाल खसरा नम्बर 780 रकबा 12 बीघा 01 बिस्वा का साबिक खसरा नम्बर 1376/2 बीघा 18 बिस्वा, 1377/3 बीघा 01 बिस्वा , 1378/6–00बीघा वाके ग्राम हुसैनपुर तहसील किशनगढबास से बना है साबिक जमाबन्दी सम्वत 2014–17 के खाता सख्या 603 खसरा नम्बर 780 रकबा 12 बीघा 01 बिस्वा मे गुलजी , महादेव बहराम पुत्रान परतिया समभाग अहीर सा. देह पटटेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तथा उक्तानुसार अमल ही जमाबन्दी सम्वत 2009 मे हो रहा है तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2075–78 मे वादीगण अपने हिस्से पर पटटेदार गैर खातेदार का अमल जमाबन्दी हो रहा है प्रकरण मे प्राप्त तहसीलदार किशनगबास रिपोर्ट क्रमाक 26 दिनांक 26.01.2022 के वादीगण का आराजी उक्त पर मौके पर कब्जा काश्त है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादीगण का कुल रकबा 0.4258 हे0 पर पटटेदार गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। चूकी वर्तमान मे राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व ग्रुप –6 जयपुर की अधिसूचना सख्या एफ 9(15)राज–6/2005/पार्ट/32 दिनांक 24.08.2018 प्रभावी है। ग्राम हुसैनपुर नगर पालिका क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है इसलिए हम उक्त परिपत्र के अनुसार आराजी उक्त 0.4258 हे0 पर प्रचलित डी.एल.सी दर का 10प्रतिशत नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा कर हकूक खातेदारी वादीगण के जारी किया जाना उचित एवं न्यायसंगत समझते है। न्याय एवं विधि का सिद्वान्त भी यही है वाद वादीगण काबिले डिकी करार पाता है।

अतः आदेश हैः–

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी डिकी किया जाकर वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 1376/0.73, 1377/0.82, 1378/1.52 हे. कुल किता 3 रकबा 3.07 हे. मे से 0.4258 हे. वाके ग्राम हुसैनपुर तहसील किशनगढबास का काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है। वादीगण राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व ग्रुप –6 जयपुर की अधिसूचना सख्या एफ 9(15)राज–6/2005/पार्ट/32 दिनांक 24.08.2018 के अनुसार प्रचलित डी.एल.सी. दर का 10 प्रतिशत नियमितिकरण शुल्क एंव शास्ती जमा कराने पर सनद खातेदारी वादीगण के पक्ष मे जारी करने का आदेश दिये जाते है राशि जर्ये चालान जमा होकर सनद खातेदारी जारी हो। तथा इसी कदर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज गैर खातेदारी

अमल को मुताबिक सनद खातेदारी किये जाने आदेश दिये जाते है तदनुसार ही राजस्व रिकार्ड मे अमल हो। खर्चा वादी स्वयं वहन करेगे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमील दाखिल लेख भण्डार हो। सुनाया गया।

ओमप्रकाश सहारण
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर राज.

अध्यासित द्वारा :– ओमप्रकाश सहारण , आर.ए.एस.

मु.न.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
205 / 21	28.12.2021	12.01.2022

पर्चाडिकी

उनवान

1. उर्मिला देवी पत्नि प्रभातनारायण अहीर
2. चन्द्रकला पुत्री महादेव प्रसाद
3. जयन्त यादव पुत्र भूपसिह
4. प्रतिभा पुत्री प्रभातनारायण
5. बबीता पुत्री भूपसिह
6. मंजू देवी पतिन भूपसिह
7. युवराज पुत्र प्रभातनारायण
8. विकान्त यादव पुत्र भूपसिह
9. शारदा देवी पुत्री महादेव
10. सूरजकला पुत्री महादेव
11. सरोज पुत्री भूपसिह जाति अहीरान निवासी खैरथल तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.

:– वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढबास जिला अलवर राज.

:– प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012

....

उपस्थितिः–

1.लेख राम वकील वादीगण की और से।

2. प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी डिकी किया जाकर वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 1376 / 0.73, 1377 / 0.82, 1378 / 1.52 हे. कुल किता 3 रकबा 3.07 हे. मे से 0.4258 हे. वाके ग्राम हुसैनपुर तहसील किशनगढबास का काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है। वादीगण राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व ग्रुप –6 जयपुर की अधिसूचना सख्या एफ 9(15)राज–6 / 2005 / पार्ट / 32 दिनांक 24.08.2018 के अनुसार प्रचलित डी.एल.सी. दर का 10 प्रतिशत नियमितिकरण शुल्क एंव शास्ती जमा कराने पर सनद खातेदारी वादीगण के पक्ष मे जारी करने का आदेश दिये जाते है राशि जर्ये चालान जमा होकर सनद खातेदारी जारी हो। तथा इसी कदर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज गैर खातेदारी अमल को मुताबिक सनद खातेदारी किये जाने आदेश दिये जाते है तदनुसार ही राजस्व रिकार्ड मे अमल हो।

ओमप्रकाश सहारण
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास

प्रारूप सख्या 6
(देखिये नियम 15(3))
सनद का प्रारूप

चूकी राजस्थान भू. राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम 1970 तथा आवंटन आदेश मे निर्णित शर्तो एवं राजस्थान निष्कान्त कृषि भूमि का अस्थाई आवंटन नियम 1963 के संशोधित (राजस्व विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 6.10.2009 एवं संशोधित परिपत्र 30.3.2012 के अधीन /नियमन की गई भूमि की खातेदारी सनद निम्न प्रकार से जारी की जाती है।

1. आवंटन/ नियमन का दिनांक व स्थान	जयै वाद उर्मिला देवी बनाम सरकार मु.न. 205/21 निर्णय दिनांक 12.01.2022
2. खातेदार का नाम व पूर्ण पता	उर्मिला पत्नि प्रभातनारायण 1/108, चन्द्रकला पुत्री महादेव 1/36, जयन्त यादव पुत्र भूपसिह 1/180, प्रतिभा पुत्री प्रभातनारायण 1/108, बबीता पुत्री भूपसिह 1/180, मंजू देवी पत्नि भूपसिह 1/180, युवराज पुत्र प्रभातनारायण 1/108, विकान्त यादव पुत्र भूपसिह 1/180, शारदा पुत्री महादेव 1/36, सूरजकला पुत्री महादेव 1/36 , सरोज पुत्री भूपसिह 1/180, जाति यादव निवासी खैरथल तहसील किशनगढबास जिला अलवर
3. तहसील व जिला	तहसील किशनगढबास जिला अलवर
4. राजस्व ग्राम जंहा भूमि स्थित है।	ग्राम हुसैनपुर तहसील किशनगढबास
5. भूमि का क्षेत्रफल मय खसरा नम्बर मय किस्म	खसरा नम्बर 1376/0.73, 1377/0.82, 1378/1.52 हे. कुल किता 3 रकबा 3.07 हे. मे से 0.4258 हे. वाके ग्राम हुसैनपुर तहसील किशनगढबास किस्म खातानुसार
6. लगान दर	खातानुसार
7. राशि जमा होने का चालान नम्बर मय दिनांक	जी.आर.एन. 57574484 से राशि 151177 रू. (एक लाख इक्यावन हजार एक सौ सत्तर रूपये मात्र)मद 0075 जी.आर.एन. 57574212 से राशि 3406 रू. (तीन हजार चार सौ छः रूपये मात्र)मद 0049

नोटः– यह सनद राजस्व रिकार्ड मे दर्ज उक्त खसरा नम्बरान पर दर्ज हिस्सानुसार गैर खातेदार अंकन को खातेदार दर्ज किये जाने के लिए जारी की गई।

ओप्रकाश सहारण
उपखण्डअधिकारी
किशनगढबास

कमाक/सम/2022/ 1580-83 दिनांक :- 31/01/22

प्रतिलिपिः–

1. .तहसीलदार किशनगढबास को प्रेषित कर लेख है कि प्रार्थी का सनद के अनुसार खातेदारी नामान्तकरण दर्ज कर नामान्तकरण दर्ज किये जाने की कार्यवाही करे।
2. पटवारी हल्का को प्रेषित कर लेख है मुताबिक सनद नामान्तरकरण दर्ज कर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे।
3. प्रार्थी उर्मिला देवी पत्नि प्रभातनारायण जाति यादव निवासी खैरथल तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.
4. रक्षित पत्रावली

ओमप्रकाश सहारण
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास

तीन कोपी प्राप्त की